

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०-४/आ० वि० (संघा०)-०१-०२/२०१७- 171

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा० प्र० से०)
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
जहानाबाद/पटना।

पटना, दिनांक- 27.03.18

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति +2 आवासीय उच्च विद्यालयों, के संधारणार्थ विद्युत प्रभार एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में 5,03,000/- (पाँच लाख तीन हजार रुपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आवंटनादेश संख्या-08 दिनांक-22.05.2017 द्वारा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई थी।

2- जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद, पटना द्वारा किये गये अतिरिक्त आवंटन की माँग के आलोक में कुल 02 अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में कुल 5,03,000/- (पाँच लाख तीन हजार रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

3-कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्यय शीर्ष मांग संख्या-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0003-आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या-44-2225012770003 कूट 13.04-विद्युत प्रभार, 06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद के अन्तर्गत विकलनीय है।

4-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। तथा संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5-वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक- एम०-4-05/98-2607/बि(2) दिनांक-20/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6-व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेगे।

7-सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8-आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।


9-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक- 4/आ0 वि0 (संघा0)- 01-02/2017- 171 पटना, दिनांक - 27.03.18

प्रतिलिपि:-(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/पटना/उप विकास आयुक्त, /प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरणी-1

तीय वर्ष 2017-18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित नीचे अंकित अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि का अतिरिक्त आबंटन।

क्र0	विद्यालय का नाम	विद्युत प्रभार	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल
1	2	3	4	5
1	राजकीय +2 अम्बेदकर अवासीय बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद।	0	203000	203000
2	राजकीय +2 अम्बेदकर अवासीय उच्च विद्यालय, पुनपुन, पटना।	300000	0	300000
	कुल-	300000	203000	503000

(पाँच लाख तीन हजार रुपये मात्र)

पत्रांक-171 दिनांक-27.03.18 अनुलग्नक।

निदेशक 31/3